बिहार सरकार,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ।

(Through e-procurement mode on www.eproc2.bihar.gov.in)

अति–अत्पकालीन निविदा सूचना संख्याः– 04 वर्ष 2026-27

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता,लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि :– दिनांकः 08.07.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त/खरीदने की तिथि :– दिनांक 17.07.2026 से 24.07.2026 को 15:00 बजे अपराह्न तक www.eproc2.bihar.gov.in
4. निविदा पत्र प्राप्ति का स्थान :– www.eproc2.bihar.gov.in अंतिम तिथि– 25.07.2026, स्थान– कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं समय– 16:00 बजे तक।
5. निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की तिथि एवं समयः– दिनांक –25.07.2026 को 17:00 बजे तक।
6. कार्य का विवरण :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र मूल्य (रूपये में) (अप्रत्यर्पणीय रूप में)	कार्य समाप्ति की अवधि (दिन में)
1	2	3	4	5	6
1	CONSTURCTION OF 40MM DIA X 26MM DEEP SHALLOW HAND PUMP WITH PLATFORM AND DRAIN & 1.0 M DIA X 2.0M DEEP SOAKPIT UNDER P.H. DIVISION, PURNEA- TOTAL 40 NOS.	12.07200	61000.00	2500.00	120

8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– तकनीकी बीड निष्पादन के बाद समय एवं तिथि कार्यालय सूचना पटट पर सूचित की जायेगी।
9. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना या अन्य शर्ते कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।
10. निविदा की वेधता की तिथि–निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों तक।

नियम एवं शर्तः–

11. बिना कारण बताये निविदा आमंत्रण को किसी भी समय रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार विभाग के सक्षम पदाधिकारी को सुरिक्षत रहेगा।
12. आमंत्रण में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल/कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें।
13. परिमाण विपत्र की बिक्री **Online mode** में होगी।
14. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निविदा प्राप्ति की तिथि तक निर्गत बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चेक, जो संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदनाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, पूर्णियाँ में भुगतेय हो, के रूप में हीं स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चेक कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल पूर्णियां/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूर्णियां प्रक्षेत्र, पूर्णियां के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
15. अग्रधन की राशि वर्षीय बचत प्रमाण पत्र आठवाँ/नौवाँ निर्गम/किसान विकास पत्र/ डाक घर सावधि 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पासबुक अथवा वित्त नियमावली के अनुसार, जो बिहार राज्य के किसी डाकघर से क्रय

एवं जमा किया हो तथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदनाम से निर्गत प्रतिज्ञप्त को स्वीकार किया जायेगा।

16. अग्रधन तथा परिमाण विपत्र से संबंधित अभिलेख/दस्तावेज निविदा के साथ उपर्युक्त कंडिका 4 में वर्णित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

17. संवेदको GI पाईप एवं हैण्ड पम्प सेट का **Third Party Inspection Report** किसी मान्यता प्राप्त प्रतिश्ठान से देने अनिवार्य है।

18. यह निविदा दो भागों में होगी प्रथम भाग तकनीकी बीड एवं द्वितीय भाग वित्तीय बीड होगी। आयकर, जी0एस0टी0 एवं अन्य अनुमान्य कटौती नियमानुसार की जायेगी।

19- स्थानीय/अनुभव प्राप्त फर्म/प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दी जायेगी।

20. फर्म/प्रतिष्ठान को कार्यादेश निर्गत की तिथि से निर्धारित समय के भीतर कार्य सम्पन्न करना होगा। निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में भुगतेय राशि का @ 0.1% प्रतिदिन की दर से अधिकतम **@ 10.00%** दण्ड वसूला जायेगा।

21. संवेदक को कराये गये कार्य ससमय पूर्ण करना होगा,अन्यथा भुगतान में नियमानुसार कटौती की जायेगी।

22- संवेदक को आमंत्रण पत्र के साथ स्थाई एवं अस्थाई पता देना होगा। साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी कागजातों पर उनका हस्ताक्षर एवं मुहर अनिवार्य होगा।

23. सफल निविदाकार को लोक निर्माण संहिता में निर्धारित समय अवधि के अंदर एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इससे भिन्न स्थिति में उनकी निविदा रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त करने की कार्रवाई, बिना किसी पृच्छा के प्रारंभ कर दी जायेगी।

24. निविदा में सफल होने एवं कार्य आवंटन होने के पश्चात् समय सीमा के अन्दर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

25. निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) उपकर की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।

26. ससमय कार्य समाप्ति की बाध्यता संवेदक की होगी।

27. वैसे संवेदक जिनका कोई भी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में अंचल अन्तर्गत कार्यरत हैं, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

28. प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के समय नियमानुकूल अतिरिक्त जमानत की राशि (**Additional Performance Guarantee**) जमा करना होगा।

29. कार्य की प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित अग्रधन की राशि पर ही मान्य होगा। शेष राशि एकरारनामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

30. निधि उपलब्धता के आधार पर ही भुगतान देय होगा तथा विभागीय निदेश के आलोक में नलकूप निर्माण की संख्या घट या बढ़ सकती है।

31. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

32. GST एवं पेन कार्ड की स्वः अभिप्रमाणि की छाया प्रति संलग्न कारना अनिवार्य होगा।

33. स्थानीय अभिकत्ता श्रेणी–4 में निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,पूर्णियाँ

ज्ञापांक: – ..../ दिनांक: –8/7/26............../

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ/मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूर्णियां प्रक्षेत्र पूर्णियां को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

ज्ञापांकः – ..../ दिनांकः – ..../

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, पूर्णियाँ/ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णियाँ/R.C.D पूर्णियाँ को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ
8/7/26

ज्ञापांकः – ..../ दिनांकः – ..../

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ
8/7/26

ज्ञापांकः – ..../ दिनांकः – ..../

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ/मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पूर्णियां प्रक्षेत्र पूर्णियां को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ
8/7/26